यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, पाती, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पाती, चम्पावत के माह 05/2012 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.08.2017 से 22.08.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, पाती, चम्पावत

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	20.80	16.36	2.52	2.22	-	-
2013-14	-	-	21.74	18.61	5.20	4.43	-	-
2014-15	-	-	25.02	24.61	3.75	3.09	-	-
2015-16	-	-	29.25	26.08	3.20	2.90	-	-
2016-17	-	-	36.50	27.53	4.95	4.44	-	-
2017-18 (07/17 तक)	-	-	16.95	9.86	1.80	0.73	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, पाती, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2014, 03/2016, 03/2017 एवं 06/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

शून्य

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तर-01-</u> रू 8.87 लाख के आपदा प्रभावित निर्माण कार्य के सत्यापन प्रमाण-पत्र नही पाया जाना।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के शासनादेश सं0 32-7/2014 NDM-1 (आपदा प्रबंधन प्रभाग) दिनांक 08.04.2014 के निर्देशों के अनुसार यदि आपदा में क्षतिग्रस्त भवन के मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत हेतु प्रस्तावित किया जाता है, तो भवन का अधिकृत निर्माण होने का सत्यापन राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त दिशा- निर्देशों 01 अप्रैल 2015 से प्रभावी है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 (जुलाई 2017 तक) क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्मवत है-

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत राशि (रू में)
2015-16	16	4,58,000
2016-17	06	4,16,900
2017-18	04	12,800
योग		8,87,700

पत्रावली की जांच में पाया गया कि उपरोक्त सभी प्रकरणों में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन का प्रकरण पत्र संलग्न नहीं था।

इकाई को इस बारे में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि दैवीय आपदा निधि में प्रभावितों को भवन क्षति की धनराशि विवरण तहसीलदार के सक्षम किया जाता है, जिसे सत्यापन किया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II-'ब'

<u>प्रस्तर-02</u> ₹ 94313 का अनियमित भुगतान किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पाटी, चम्पावत के वर्ष 2012-13 में मद संख्या-15 'वाहनों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल' वर्ष 2013-14 में मद सं0 08- 'कार्यालय व्यय' एवं मद संख्या-15 'वाहनों का अनुरक्षण पेट्रोल' एवं से संबंधित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि विभिन्न बिलों का भुगतान विभिन्न फर्मों को अनियमित बिल संख्या एवं दिनांक के साथ किया गया, जिसका विवरण निम्न है-

(धनराशि ₹ में)

क्र.सं.	फर्म का नाम	बिल सं0	दिनांक	धनराशि
1.	पार्वती फिलिंग स्टेशन, लोहाघाट	340	01.01.2012	6798
2.		393	01.12.2011	10350
3.	प्रदीप जनरल स्टोर एवं फोटोस्टेट सेन्टर, तहसील मार्केट, पाटी	469	28.06.2013	540
4.		486	05.01.2013	596
5.		487	26.06.2013	721
6.		488	31.03.2013	916
7.		497	26.06.2013	450
8.	पार्वती फिलिंग स्टेशन, लोहाघाट	1311	01.08.2013	12163
9.		1312	01.03.2013	8183
10.		1313		8808
11.		1315		32291
12.		1316		1327
13.	टनकपुर सर्विसिंग स्टेशन, वार्ड नं.-1, टनकपुर, चम्पावत	1307	04.04.2013	4040
14.		1321	15.01.2013	7130
योग				94313

उपरोक्त फर्मों को विभिन्न प्रगामी तिथियों पर सीरियल नं0 के आगे पीछे होने से उक्त बिल संख्या के अनियमित के कारण भुगतान संदेहास्पद प्रतीत होता है।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा जवाब दिया गया कि अधिकारी/कर्मचारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार का भुगतान गम्भीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर-**03**</u> धनराशि ₹ 25928 का व्ययावर्तन (**Diversion**)।

सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 के नियम 26 (2) के अनुसार 'नियंत्रण अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि बजट जिस उद्देश्य हेतु आवंटित हुआ है उसी पर व्यय किया जाना चाहिए' तथा सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 के नियम 59 (1) के अनुसार 'एक मद से दूसरे मद में निधि का पुनर्विनियोजन (**Reappropriation**) के लिए वित्त विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त की जानी चाहिए।'

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पाटी, चम्पावत के वर्ष 2014-15 की क्रय पत्रावलियों की नमूना जांच में पाया गया कि मद संख्या-08 'कार्यालय व्यय' से कम्प्यूटर प्रिंटर एवं कार्टेज का क्रय किया गया है, जबकि उक्त क्रय हेतु मद संख्या-46 'कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर' व मद संख्या-47 'कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं स्टेशनरी' पृथक से आवंटित है। विवरण निम्न है।

क्र.सं.	आदेश सं.	मद का नाम	सामग्री, जिस पर व्यय किया गया	धनराशि (₹ में)
1.	3/xxcii(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी, 2013	08- कार्यालय व्यय	कम्प्यूटर प्रिंटर एवं कार्टेज	25928

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर मद संख्या-46 में धनराशि आवंटित नहीं होने के कारण आपातकालीन राजकीय कार्य को ध्यान में रखते हुए सामग्री उच्चाधिकारियों की सहमति के अनुसार क्रय की गयी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमावली के अनुसार पुनर्विनियोजन (Appropriation) के लिए वित्त विभाग से पूर्वानुमति आवश्यक है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना है

STAN

प्रस्तर-01 ₹ 0.44 लाख का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008 के नियम 9 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर ₹15,000 से ₹1,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है"।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पाटी, चम्पावत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के लिए वर्ष 2014-15 में मद संख्या-47 'कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं स्टेशनरी' से ₹17800 एवं मद संख्या-08 'कार्यालय व्यय' से ₹25928 का क्रय, क्रय की सहमति से नहीं किया गया। विवरण निम्न है-

फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनांक	धनराशि (₹ में)
अभिनव कम्प्यूटर एण्ड पेरिफेरल, मुरारी काम्प्लैक्स, लोहाघाट	747	20.03.2015	25928
	748		17800
योग			43728

उपरोक्त क्रय माह 03/2015 में एक ही फर्म से किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में क्रय लेखापरीक्षा के निर्देशानुसार क्रय समिति गठित करने के उपरान्त क्रय किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, पाती, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री ए.के. पाण्डेय	उपजिलाधिकारी	23.12.2011	26.05.2012
2.	श्री जे.एस. राठौर	उपजिलाधिकारी	26.05.2012	18.06.2012
3.	श्री अभिषेक त्रिपाठी	उपजिलाधिकारी	19.06.2012	31.07.2012
4.	श्री प्रत्यूष सिंह	उपजिलाधिकारी	31.07.2012	29.09.2013
5.	श्री परितोष वर्मा	उपजिलाधिकारी	30.09.2013	19.10.2013
6.	श्री अशोक कुमार जोशी	उपजिलाधिकारी	19.10.2013	01.04.2015
7.	श्री जे.एस. राठौर	उपजिलाधिकारी	02.04.2015	20.10.2015
8.	श्रीमती निर्मला बिष्ट	उपजिलाधिकारी	21.10.2015	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, पाती, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र